


दिनांक	आज्ञा-पत्र
6/2/18	वकील उत्तमप्रसाद उपस्थित। बटस ठेकु समग्र चाब/ पत्रावली वास्ते बटस दि. 20/2/18 को पेश हो।
20/2/18	वकील उत्तमप्रसाद उपस्थित। बटस ठेकु समग्र चाब/ पत्रावली वास्ते बटस दि. 20/2/18 को पेश हो।
22/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तमप्रसाद द्वारा ने मायमाए स्थगित मर्यादा का पत्रावली माला-नं. 01/18/22/2/18 को पेश हो।
22/2/18	वकील उत्तमप्रसाद उपस्थित। वकील रेस्पो. ने एक आदेश बाबत अपेक्षित विधि-आपत्ति पेश किया जो शामिल रहे। नकल क्लिक गरी। पत्रावली वास्ते जवाब डा.पत्र दि. 20/2/18 को पेश हो।
28/2/18	वकील उत्तमप्रसाद उपस्थित। वकील अपीलान्त द्वारा उस्तुत जवाब आदेश शामिल रहे। बटस डा.पत्र सुनी गरी। पत्रावली वास्ते आदेश डा.पत्र दि. 12/3/18 को पेश हो।
12/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तमप्रसाद उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा उस्तुत आदेश बाबत विधि-आपत्ति व जवाब डा.पत्र का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने विधि-आपत्ति आदेश में अंकित किया है कि अपीलान्त अपीलाधीन में पत्रकार नहीं है अपीलान्त द्वारा अपील उस्तुति के समग्र अपील उस्तुति निमित्त प्रार्थना-पत्र उस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही अपील उस्तुति की प्रार्थना अपील मेमो में की गई है अपीलाधीन तात्कालिक के विषय अपील उस्तुत करने हेतु अपीलान्त को द्वारा उस्तुत के प्रार्थना-पत्र के तहत अपील उस्तुत करने का आदेश पत्र पेश करना होगा है अपीलान्त द्वारा इस तरह का कोई आदेश पेश नहीं किया गया है अधिवक्ता अपीलान्त



अधित आरि पत्रार ठी अपीलॉट द्वारा भूख व सारवन से धारा 96 CPC का आवेदन उस्तुत नबी किता गमा ठी जे प्राकृतिक लाभ सिदान्तो के अनुसार अपीलॉट को उसके अधिकारो से वंचित नबी किता जा सकत ठी अपीलॉट द्वारा अपील मेमो में सारुण लप्यो को उस्तुत कर अपील उस्तुत की गई थी जिसके लिने किसी विशेष अनुमति हेतु आवेदन उस्तुत करने की आवश्यकता नबी थी अधिकता उन्नतपत्र की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर समत किता गमा। अपीलॉट द्वारा उस्तुत अपील मेमो के पृष्ठ संख्या 5 पर बिन्दु संख्या 2 में बरावली दर्शायी गई है जो निम्नानुसार है-

सुमारसल (घर)



उपरोक्त बरावली अनुसार अपीलॉट द्वारा पत्रार दी जिसके अधित पत्रार नबी कता जा सकत। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में अपीलॉट द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घोड़ के समत स्वगत आर्यता पत्र दि. 3/3/14 उस्तुत किता गमा है जिसकी परि पत्रावली पर उपलब्ध थी अपीलॉट द्वारा अपील मेमो में आर्याल उपखण्ड अधिकारी घोड़ के समत उस्तुत स्वगत आ.पत्र का जिक्र नबी किता गमा ठी अपीलॉट द्वारा अपील उस्तुत करते समत धारा 96 CPC का आवेदन उस्तुत नबी किता गमा ठी अधिकता रेस्पों-द्वारा राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा पारित आरिठि ह्वेट RLW (1) पृष्ठ संख्या 341 पेडा किता जिसके अनुसार कलक्टर के समत तहसीलदार द्वारा अपील दाखर की गई - अपील की पोषणितता - अलिनिधारित - कोई भी



सनाति कुमार

बनाम

महेन्द्र कुमार

मु. नं.

55

वर्ष

2014

किसम मुकदमा

आज्ञा-पत्र

दिनांक

भा डिफ्री के विरुद्ध अपील दाखल नहीं कर सकना  
 है अपीलॉट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 बोर्ड के समक्ष एवं अन्य किसी न्यायालय में वाद  
 प्रस्तुत कर रखा हो तो उसका उल्लेख अपीलॉटों  
 में नहीं किया है जब कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत वाद दि. 01/01/14 की प्रति  
 पत्रावली पर उपलब्ध है इस प्रकार अपीलॉट द्वारा  
 ज्ञान किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने संबंधी  
 कोई शक्य न्यायालय दया के उक्त नहीं किया है  
 अपीलॉट अपीलान्वीत नामोत्तरता में हरीश पत्रकार है  
 अपीलान्वीत नामोत्तरता के अपीलॉट को हरीश पत्रकार  
 होने के नाते किसी उक्त की शक्य प्रदान किया  
 जाना संभव नहीं है उपरोक्त विवेचन के आधार  
 पर अधिवक्ता रेश्मो - द्वारा प्रस्तुत विधिगत आपत्ति  
 स्वीकार की जाती है अगर अपीलॉट का किसी उक्त  
 का विरुद्ध नोटिस हो तो वह समक्ष न्यायालय में चारोंपदी  
 करे। अपील अपीलॉट खारिज की जाती है पत्रावली  
 फॉल्ल शुमार चकर बाद लक्ष्मिल शखिल दफ्तर है।  
 सत्यमेव जयते दिनांक 12/03/18 को मुझे  
 न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर, पीकर



Web Copy - Not Official